न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी याचिका सं0 01/2020

1. रामकेश पुत्र रामरूप
2. महावीर पुत्र रामरूप
3. सोना देवी पत्नि स्व० रामरूप

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम गांगल्यावास तहसील व जिला दौसा

बनाम

1. लक्ष्मी देवी पत्नि रामरूप जाति गुर्जर निवासी गांगल्यावास तहसील दौसा जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत रलावता जरिए सचिव ग्राम पंचायत रलावता

निगरानी विरुद्ध निरस्तीकरण कथित पट्टा संख्या 20, मिसल संख्या 2 दायर दिनांक 20–7–2002 ग्राम पंचायत रलावता जिसका ग्राम पंचायत रलावता में कोई अस्तित्व ही नही है तथा जो गैर निगरानीकर्ता द्वारा बाजार से खरीदे गये पटा प्रारूप पर फर्जी एवंम कूटरचित तैयार किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री हुकम सिंह अवाना, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनांक: 03.09.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत रलावता द्वारा जारी पट्टा सं0 20 दायर दिनांक 20.7.2002 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। ग्राम पंचायत रलावता से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम पर अधिवक्ता निगरानीकर्तागणस की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने कथन किया कि गेर निगरानीकर्ती ने बाजार से खरीदे गये पट्टा प्रारूप पर फर्जी एवं कूटरचित तरीके से कथित पट्टा सं0 20 मिसल सं0 2 दायर दिनांक 20.7.2002 ग्राम पंचायत रलावता जिसका ग्राम पंचायत रलावता में कोई अस्तित्व ही नहीं है, तैयार कर लिया है। ऐसे फर्जी कूटरचित पटद्वटे के निरस्तीकरण की कोई मियाद नहीं है, किन्तु फिर भी यदि उक्त कथित फर्जी, कूटरचित पट्टे के विरूद्ध निगरानी पेश करने में देरी मानी जावे, दफा 05 मियाद अधिनियम के तहत देरी क्षमा किये जाने योग्य है। अतः दफा 05 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन है कि निगरानी को पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर निगरानी अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार की मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर निगरानी की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात मूल निगरानी पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने न्यायालय सिविल जज महोदय दौसा के समक्ष [illegible] के पूर्व पश्चिम लम्बाई 86 फीट एवंम चौडाई उत्तर दक्षिण 34 फीट का ब[illegible] मकान के उत्तर में 6 फीट का रास्ता छोडकर राधाकिशन का मका[illegible] छोडकर प्रभात गुर्जर का मकान तथा पूर्व में स्वयं की[illegible] उक्त मकान के [illegible]बूतरा छोडकर सी सी रोड बताते हुए प्रस्तुत किया तथा [illegible]त मकान को अपना[illegible]दा बताते हुए निगरानीकर्तागण के विरूद्ध आदेशात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:19 IST
Reason: SelfAttested

निगरानीकर्ता ने अपने उक्त मकान का कथित पट्टा दिनांक 20—7—2002 को ग्राम पंचायत रलावता द्वारा जारी करना बताया गया। तथा उक्त कथित पट्टे फर्जी कूटरचित पट्टे के आधार पर स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया गया। निगरानीकर्तागण ने गैर निगरानीकर्ता के उक्त कथित पट्टा एवम उससे संबंधित पत्रावली की नकल ग्राम पंचायत रलावता से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा विकास अधिकारी ग्राम 6 (1) के तहत चाही गई जिस पर ग्राम पंचायत रलावता, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा द्वारा प्रार्थीगण निगरानीकर्तागण को अपने पत्र क्रमांक 01 दिनांकित 24—5—2019 के माध्यम से अवगत कराया कि निगरानीकर्तागण प्रार्थीगण द्वारा जो सूचना के अधिकार के तहत पट्टा एवम उससे संबंधित पत्रावली व रिकॉर्ड चाहा गया है उक्त रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नही है। श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि रामरूप गुर्जर निवासी गंगाल्यावास के पट्टे संबंधी पत्रावली व अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत रलावता द्वारा गैर निगरानीकर्ता के हक में कथित दिनांक 20—7—2002 को पट्टा संख्या 20 मिसल संख्या 2 जारी ही नही किया गया है ऐसी सूरत में उक्त पट्टे के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। योग्य अधिनस्थ ग्राम पंचायत रलावता का कथित पट्टा संख्या 20 मिसल संख्या 2 दिनांक 20—7—2002 अस्तित्व में ही न होने के कारण निरस्तनीय है। गैर निगरानीकर्ती लक्ष्मी द्वारा कथित पट्टेशुदा भूमि का उल्लेख किया है वह कथित पट्टा गैर निगरानीकर्ती लक्ष्मी देवी द्वारा ग्राम पंचायत रलावता के सरपंच व सचिव से साज कर विधि विरूद्व प्राप्त किया है। चूंकि गैर निगरानीकर्ता द्वारा प्राप्त पट्टे में पूर्व दिशा की और स्वयं की भूमि होना बताया है जबकि उसकी स्वयं की भूमि का किस प्रकार स्वामित्व है यह स्पष्ट नही किया है । इसी प्रकार पश्चिम दिशा में स्वयं का चबूतरा होना बताया है जबकि उस चबूतरे के संबंध में गैर निगरानीकर्ता का स्वामित्व किस प्रकार से है यह भी उसने स्पष्ट नही किया है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि पूर्व में गैर निगरानीकर्ती की स्वयं की भूमि है तो गैर निगरानीकर्ती द्वारा उक्त भूमि का पट्टा प्राप्त क्यो नही किया गया। इस प्रकार के पट्टे में किये गये वर्णन उक्त पट्टे के फर्जी एवम कूटरचित होने का स्पष्ट प्रमाण है। गैर निगरानीकर्ती लक्ष्मी देवी द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव से मिलीभगत कर प्राप्त किये गये कथित पट्टे में गलत तरीके से दक्षिण दिशा की और गली प्रदर्शित कराई गई है ऐसी कोई गली मौके पर विधमान नही है और उक्त फर्जी कूटरचित पट्टे के आधार सिविल न्यायालय में गलत वाद तरीके से डिकी प्राप्त करने पर आमादा है ऐसी कथित फर्जी कूटरचित पट्टा निरस्तनीय है। गैर निगरानीकर्ती व निगरानीकर्तागण के मकान के बीच में कोई गली नही है चूंकि गैर निगरानीकर्ती का कोई बाडा ही अस्तित्व में नही है न ही उसके उक्त कथित बाडे के संबंध में उसके पट्टे में कहीं जाहिर किया गया है। गैर निगरानीकर्ती उक्त कथित फर्जी कूटरचित पट्टे की आड में अपना बाडा बताकर जबरन निगरानीकर्तागण की कब्जेशुदा भूमि में होकर रास्ता लेना चाहती है इसी गरज से गैर निगरानीकर्ती ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर फर्जी पट्टा प्राप्त किया गया है जो निरस्तनीय है। गैर निगरानकर्ती उक्त कथित फर्जी पट्टा जो कि उसने ग्राम पंचायत रलावता के सरपंच व सचिव से साज कर प्राप्त किया है के आधार पर गलत तरीके से सीमाये दर्शाकर उक्त पट्टे के आधार पर सिविल न्यायालय से गलत निर्णय व डिकी अपने हक में पारित करवाना चाहती है गैर निगरानकर्ती व निगरानकर्तागण के मकान के बीच में कोई गली नही है चूंकि गैर निगरानकर्ती का कोई बाडा ही अस्तित्व में नही है न ही उसके उक्त कथित बाडे के संबंध में गैर निगरानकर्ती के पट्टे में कहीं जाहिर किया गया है। गैर निगरानीकर्ती उक्त कथित पट्टे के आधार पर निगरानकर्तागण की कब्जेशुदा भूमि में होकर रास्ता लेना चाहती है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नही है ऐसी सूरत में भी पट्टा निरस्तनीय है। गैर निगरानीकर्ती ने बाजार से पट्टा प्रारूप खरीद कर उसमें स्वयं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:43:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

द्वारा ही फर्जी कूटरचित प्रविष्ठियां भरकर सरपंच व सचिव से साज कर उक्त फर्जी कूटरचित एवम बनावटी पट्टा तैयार किया है जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि निगरानीकर्तागण द्वारा जब उक्त कथित फर्जी कूटरचित पट्टा व उससे संबंधित पत्रावली की नकल सूचना का अधिकार कानून के तहत ग्राम पंचायत से मांगी तो ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रलावता पंचायत समिति दौसा जिला दौसा द्वारा प्रार्थीगण निगरानीकर्तागण को अपने पत्र क्रमांक 01 दिनांकित 24–5–2019 के माध्यम से अवगत कराया कि निगरानीकर्तागण प्रार्थीगण द्वारा जो सूचना के अधिकार के तहत पट्टा एवम उससे संबंधित पत्रावली व रिकॉर्ड चाहा गया है उक्त रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नही है। श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि रामरूप गुर्जर निवासी गंगाल्यावास के पट्टे संबंधी पत्रावली व अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट प्रमाणित है कि ग्राम पंचायत रलावता द्वारा गैर निगरानीकर्ता के हक में कथित दिनांक 20–7–2002 को पट्टा संख्या 20 मिसल संख्या 2 जारी ही नही किया गया है ऐसी सूरत में उक्त पट्टा निरस्तनीय है। अतः निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर कथित पट्टा संख्या 20, मिसल संख्या 2 दायर दिनांक 20–7–2002 जिसका ग्राम पंचायत रलावता में कोई अस्तित्व ही नही है तथा जो गैर निगरानीकर्ता द्वारा बाजार से खरीदे गये पट्टा प्रारूप पर फर्जी एवम कूटरचित तैयार किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. निगरानीकार सं0 1 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
5. ग्राम पंचायत रलावता से अभिलेख तलब किये जाने पर पत्र दिनांक 11.2.2025 के द्वारा अवगत कराया कि लक्ष्मी देवी पत्नि रामस्वरूप गुर्जर निवासी गांगल्यावास तहसील दौसा के नाम से पट्टा संबंधी रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे संबंधित कोई रिकार्ड में किसी प्रकार का पट्टा संबंधी रिकार्ड नहीं पाया गया।
6. हमने अधिवक्ता निगरानीकार की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. निगरानीकार ने ग्राम पंचायत रलावता से जारी पट्टा सं0 20 मिसल नंबर 02 दायर दिनांक 20.7.2002 को निरस्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है। पत्रावली में संलग्न पट्टे की छाया प्रति का अवलोकन किया गया जो कि नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है। ग्राम पंचायत रलावता द्वारा लक्ष्मी देवी पत्नि रामस्वरूप गुर्जर निवासी गांगल्यावास तहसील दौसा के नाम से पट्टा संबंधी रिकार्ड ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं होना पाया गया। मूल अभिलेख के अभाव में प्रश्नगत पट्टे को निरस्त किये जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली फैसल शुमार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 3 सितम्बर, [illegible] लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले [illegible] निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:13:19 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा